feci the same thing. यह सभी लोगों की राय है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। शायद यही एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सब की एक राय है। क्योंकि सदन का भी समय कम है इसलिये इस पर काफी विचार होना चाहिये। यह जो यहां सवाल उठा है इसमें एकुअल डिसक्शन जो है किसी अलग तरीके से करके या विचार-गोष्ठी में इसको हम कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां (उत्तर प्रदेश): मैडम, डिसकशन में क्योंकि मुलायम सिंह जी का नाम आया है, इसलिये आप मुझे एक मिनट...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... One minute. He is new to this House. *(Interruptions).*

श्री सिकन्दर बख्त: मैंने जाती हमला किसी पर नहीं किया। मैंने खबर देने की बात कही थी ...**(व्यवधान)**.

[شری سکندر بخت: میں نے ذاتی حملہ کسی پر نہیں کیا - میں نے خبر دینے کی بات کی تھی - . . . "مداخلت" . .]

श्री मोहम्मद आजम खान: डेमोक्रेसी में यही काम हुआ है कई राजनैतिक दलों ने अपनी नीतियों को छोड़कर व्यक्तियों पर कीचड़ उछालने का काम किया है।...**(व्यवधान)**...इस पर बहस होनी चाहिये कि जिन राजनैतिक दलों ने अपनी राजनैतिक जिम्मेदारी तोड़ी है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिसके मुखिया ने कानून तोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने सजा तक दी है...**(व्यवधान)**...यह सदन...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: प्लीज सिट डाउन, मलेकानी जी आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**. Malkaniji. I do not expect you to get up. *(Interruptions)*.. आप बैठिए। एक सेकंड आप बाठए। ...**(व्यवधान)**... सिकन्दर बख्त जी...**(व्यवधान)**...मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए Please sit down. Sikander Bakhtiji, I will handle it. *(Interruptions).*

श्री मोहम्मद आजम खान: मैडम, असल में जिन राजनैतिक दलों ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: यहां पर राजनैतिक दलों की बात नहीं हो रही है। ...**(व्यवधान)**... आप चुप नहीं रह सकते है एक मिनट। यहां पर जो नाम लिया तो अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह प्रोटेक्टिड होता है। हम उनको बोलने की इजाजत देते हैं। इसलिये मेहरबानी करके जो यह मसला उठा है इसको राजनैतिक न बनाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद आजम खान: इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I adjourn the House for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shrmati Kamla Sinha)in the Chair.

THE MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA BILL 1995—CONDT.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Let us now continue with the debate on the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Bill, 1995. Shri S. R. Bommai.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई): मैडम वाइस चेयरमैन, मुझे बहुत संतोष और खुशी भी हुई है कि यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिंहा): विधेयक हिन्दी के लिये है इसलिये उन्होंने हिन्दी में भाषण देना शुरु किया है।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई: और सुझाव भी दिये हैं। अभी हिन्दी युवक प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ता है। वहां हिन्दी डिपार्टमेंट भी है। कुछ प्रश्न भी उठा है कि और एक हिन्दी यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है। यह हिन्दी यूनिवर्सिटी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, पहले यह समझना चाहिये। हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का प्रयत्न इससे हो जाएगा। इसके चार उद्देश्य हैं। इसमें हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाना, हिन्दी और दूसरी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडीज,

अनुवाद और शिक्षण कार्यक्रम, that is, translation and linguistics. और दूसरा शिक्षा द्वारा हिन्दी का विकास, distance education. यह विद्यार्थी और शिक्षक लोग आते है हिन्दी उसके पास रहती है। यह पोस्ट ग्रेजुएशन है यह समझना चाहिए। इसमें डिग्री नहीं देते, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। यह भी समझने की जरूरत है क्योंकि हिन्दी डिग्री कई विश्वविद्यालय अभी दे रहे हैं। इसलिये इसमें और एक विचार में यहां प्रकट करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के चार संकाय होंगे। उसमें भाषा, साहित्य, संस्कृति और अनुवाद यह इस विश्वविद्यालय का मूलभूत उद्देश्य है। यह विश्वविद्यालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिये यह जरूरत पड़ेगा। विदेश से लोग पहले कुछ हिन्दी अध्ययन करके और फिर यहां ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिये वे आयेंगे। वह कंपैरेटिव स्टडी भी करेगा, रिसर्च भी करेगा इसलिये यह विश्वविद्यालय का दर्जा अलग है।

हिन्दी को पहले महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा इसलिये हम इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रख रहे हैं। मैं जब विद्यार्थी था तो पहले दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास में थी, मैंने हिन्दी प्रथमा और मध्यमा पास किया। उस समय दक्षिण में हिन्दी का बहुत प्रचार था। यह स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग था। वही नीति और वही दौर आगे है। अब तक हिन्दुस्तान में सब को हिन्दी मालूम हो चुकी है। क्या हुआ, आजादी के बाद कुछ लोगों ने हिन्दी जबर्दस्ती सिखाने का कोशिश किया। इसलिये तमिलनाडु में और कई राज्यों में इसका विरोध हुआ। अब यह विरोध नहीं है। मेरे कुलीग डी०एम०के० के मेंबर ने यह बात कही है कि हम हिन्दी विरोधी नहीं हैं और उन्होंने हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने का समर्थन भी किया है। हमारे तेलुगु देशम के मेंबर ने भी समर्थन किया है हमारे कर्नाटक के हनुमनतप्पा जी ने तो हिंदी में बहुत जोर से भाषण किया और बिल को समर्थन भी दिया। साथ ही उन्होंने एक अमेंडमेंट के बारे में भी बात की है।

मैडम, इस बिल के ऑब्जेक्टिव में हम ने क्लिअर बताया है कि इस का उद्देश्य क्या है?

> 'The objects of the University shall be to promote and develop Hindi language and literature in general and, for that purpose, to provide for instructional and research facilities in the relevant branches of learning; to provide for active-pursuit of comparative studies and research in Hindi and other Indian languages; to create facilities for development and dissemination of relevant information in the country and abroad; to offer programmes of research, education and training in areas like translation, interpretation and linguistics for improving the functional effectiveness of Hindi; to reach out to Hindi scholars and groups interested in Hindi abroad and to associate them in teaching and research and to popularise Hindi through distance education system."

यह स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसलिये यह यूनिवर्सिटी रेसीडेंसियल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं होगी। इस का जूरिस्डिक्शन ऑल इंडिया है, फिर भी सेंटर्स बनाए जाएंगे। जहां-जहां जरूरत है, हिन्दुस्तान में और विदेशों में भी सेंटर बनेंगे और ये सेंटर्स पोस्ट ग्रेजुएट हिन्दी यूनिवर्सिटी सेंटर्स होंगे। वहां भी रिसर्च, ट्रांसलेशन का सब इंतजाम करने के लिये प्रोविजन रखा गया है।

मैडम, एक सदस्य ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी डिपार्टमेंट है तो उस को मदद नहीं मिलेगी। यह बात नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता है, हिन्दी डिपार्टमेंट को नहीं देता है। इसलिये यह कभी नहीं होगा। तो उस की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम ने फायनेंसियल मेमोरेंडम में दिया है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिये 30 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। बाद में रिकरिंग एक्सपेंडीचर हर साल 5 से 10 करोड़ रुपये होगा। इस पैसे का इंतजाम सरकार अलग करेगी और किसी हिन्दी पढ़ाने वाले और सिखाने वाले विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता में कमी नहीं होगी। इस हिन्दी विश्वविद्यालय में उच्च हिन्दी सिखाने वाले शिक्षकों की व छात्रों की व्यवस्था की जाएगी और यह रेसीडेंसियल यूनिवर्सिटी होगी।

मैडम, एक और कार्य यह विश्वविद्यालय करेगा। वह है डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू कोरेसपोन्डेंस यानी पत्र-व्यवहार द्वारा हिंदी सिखाने की व्यवस्था भी होगी। इस से कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से

नॉन-हिंदी स्पीकिंग एरियाज के विद्यार्थी हिन्दी पढ़ सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। मैडम यह पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री होगी। इसलिये इस यूनिवर्सिटी का विशेष महत्व है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब यह बिल पास होगा तो विश्वविद्यालय कब शुरू होगा? मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बिल पास होने के बाद और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद जल्द से जल्द यह विश्वविद्यालय आरम्भ करेंगे।

श्री विष्णु कांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश): एक समय निर्धारित कीजिये। जल्द से जल्द की कोई परिभाषा नहीं है।

श्री एस० आर० बोम्मई: डेट का तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत जल्द करने का इरादा सरकार का है, हम करेंगे। इसमें देरी नहीं करेंगे। हमारी सरकार पूरे पांच वर्ष रहेगी, इसमें ऐसी कोई चिन्ता मत करो। हम जल्दी करेंगे। शास्त्री जी के मन में जो है, वही हमारे मन में है। वह इच्छा पूरी हो जाएगी। वर्धा में महाराष्ट्र सरकार ने जमीन दी है और मदद करने का भी वायदा दिया है। इसलिये वर्धा में यह यूनिवर्सिटी प्रारम्भ होगी।

मैडम, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत काम करने की है। हम एक आश्वासन हनुमनतप्पा जी को देंगे, जो उनके मन में एक अमेंडमेंट सेक्शन 3 में करने के लिये है, कि यह यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सब काम हिन्दी में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लेकिन, यह कम्पेरेटिव स्टडीज, ट्रांसलेशन और रिसर्च के लिये दूसरी भाषाओं के साथ चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। वहां लोगों को आना पड़ेगा पूरे हिन्दुस्तान से, कर्नाटक से, तेमिलनाडु से, आंध्रप्रदेश से लोगों को आना पड़ेगा, इंटरएक्ट करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेन्च, जर्मन लोगों के आने की जरूरत पड़ेगी, इसलिये सब काम हिन्दी में नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव काम हिन्दी में होगा, यह आश्वासन है कि यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हिन्दी में होगा। अध्ययन के लिये दूसरी भाषाओं की जरूरत है। यह विश्वविद्यालय का नाम भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय है, इसमें जब "अंतर्राष्ट्रीय" कहते हैं तो हिन्दी नहीं है बल्कि सब भाषा आती है इसमें। सबको यहां आने के लिये अवसर मिलना चाहिये। इसलिये मैं अनुमन्तप्पा जी से विनती करूंगा कि अमेण्डमेंट लाने की जरूरत नहीं है। हम आश्वासन देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब हिन्दी में होगा।

अंत में, मैं सब माननीय सदस्यों से विनम्रता से कहूंगा कि इस बिल को आज ही पास करें। हम जल्द से यह विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये आगे का काम करेंगे।

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): For the first time we have heard the hon. Minister. ...*(Interruptions)*....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): हिन्दी में बोलिए। ...**(व्यवधान)**....

SHRI V. P. DURAISAMY: I cannot. While the Minister was moving the Bill, he has referred to Mahatma Gandhi's name. We from Tamil Nadu, would like to mention that the assurance given by Pandit Nehru should not be ignored. It should be protected. Imposition of Hindi will not be accepted by us. .. *(Interruptions)*...

SHRI R. K. KUMAR: Nobody is imposing. ...*(Interruptions)*...

श्री एस०आर० बोम्मई: मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्री लेंगुवेज फार्मूला है यह सरकार की नीति पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): मैडम, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। बिल में यह क्लीयर दिया गया है कि महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा, तो क्या मंत्री जी कृपया आश्वासन देंगे कि 2 अक्तूबर, 1997 को यह विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा? जल्दी से जल्दी से क्या तात्पर्य है?

श्री एस०आर० बोम्मई: मैं जरूर कोशिश करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी का जवाब आप लोगों ने सुना, अब इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाएगा।

सवाल है कि:—

> "हिन्दी भाषा और साहित्य के संवर्धन और विकास के लिए अध्यापन और अनुसंधान के माध्यम से, इस दृष्टि से कि उसे प्रकार्यात्मक प्रभावशीलता और मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके, अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए और

उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

The motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब इसे विधेयक पर धारावार विचार किया जाएगा।

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3: Establishment of the University.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): धारा 31 धारा 3 में हेच० हनुमनतप्पा जी का एक संशोधन है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्नाटक): मैडम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

(3) "पृष्ठ 2, पंक्ति 40 में "विश्वविद्यालय" शब्द के पश्चात् "जिसका सारा काम-काज हिन्दी भाषा में होगा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएं।"

The question was proposed

श्री हेच० हनुमनतप्पा: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अपने वादे के मुताबिक उन्होंने हिन्दी में अपना जवाब तैयार करके, बहुत कोशिश करके, हिन्दी में इसका जवाब दिया। मेरी उनसे चर्चा भी हुई है, पर्सनली चर्चा भी हुई। अभी उनके आश्वासन देने के बाद भी मैं अपने संशोधन को विदड्रा करने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन के समय में हमने हिन्दी सीखी लेकिन जब दिल्ली में, पार्लियामेंट में आया तो हिन्दी की अवहेलना दिल्ली में और सरकारी काम-काज में कितनी हो रही है, उसको देखते हुए बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के लिए, हिन्दी के नाम पर और महात्मा गांधी जी का नाम लेकर जो यह विश्वविद्यालय बन रहा है, इसमें हिन्दी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यह मेरी इच्छा है इस संशोधन के पीछे। मैंने इतना ही संशोधन जोड़ा है कि "जिसका सारा काम-काज हिन्दी में होगा"। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उसका अर्थ ही दूसरी भाषा से परिवर्तन करना है। इसलिए काम-काज हिन्दी में करने के लिए मेरे संशोधन से बाधा नहीं आएगी। इसलिए मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि मेरे इस संशोधन को वे स्वीकार करें।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैडम, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम यह अमेंडमेंट स्वीकार करें तो इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसका भावना क्या होगा? ट्रांसलेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: सब कुछ होगा।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आप उसमें, प्रशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी दूसरी भाषा में, इतना ही स्वीकार कर लीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री एस० आर० बोम्मई: मैंने यही आश्वासन दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विल बी डन इन हिन्दी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: जो आपने आश्वासन दिया है उसको संशोधन में लीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री हेच० हनुमनतप्पा: उसको अमेंडमेंट में जोड़ दीजिए। मैं "उसका काम-काज" नहीं लिखा हूं "काम-काज हिन्दी में होगा" ..(व्यवधान)..

श्री एस० आर० बोम्मई: इससे विश्वविद्यालय का काम करने में रूकावट आएगी। आप सोचिए जरा शास्त्री जी, आप जरा सोचिए। ..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद आजम खान: यथासंभव जोड़ा जा सकता है।

श्री एस० आर० बोम्मई: अभी कोरेस्पांडेंस कैसे होगा? ..(व्यवधान)..

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: विद्या चर्चा के क्षेत्र में उनका आग्रह नहीं है ..(व्यवधान)..

श्री एस० आर० बोम्मई: एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने कह दिया है ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप लोग कृपा करके बैठें, मंत्री जी की बात सुन लें और फिर कुछ कहना हो तो कहें।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं आश्वासन दे रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिन्दी में होगा। इस विश्वविद्यालय को तमिलनाडु सरकार से पत्र-व्यवहार करना हुआ तो वह हिन्दी में नहीं होगा, इंगलिश में होगा ..(व्यवधान)..

श्री राम गोपाल यादव: तमिल में हो सकता है।

श्री एस० आर० बोम्मई: तमिल में हो सकता है, कन्नड़ में हो सकता है। आप यह समझ लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव काम सब हिन्दी में होगा।

इस विश्वविद्यालय का ऑब्जैक्टिव क्या है, जरा आप

सोचिए। ये रूकावटें कौन हल करेगा।

श्री विष्णु कांत शास्त्री: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी की इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं यह कहता हूं कि शिक्षा या समालोचना या तुलना या अनुवाद का काम अन्य भाषाओं के माध्यम से होता है तो उसमें आपत्ति नहीं होगी। मेरे माननीय मित्र हनुमनतप्पा जी ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासनिक कार्यवाही हिंदी में हो। इसको तो आप स्वीकार कर लीजिए। आपने आश्वासन भी दिया, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके आश्वासन का आदर करता हूं लेकिन अगर आश्वासन पारित नहीं हुआ तो? इसलिए लिखित रूप में उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? हम लोग भी इसे स्वीकार कर लेंगे क्योंकि विद्या का काम अन्य भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है लेकिन प्रशासनिक कार्य तो हिंदी में ही होना चाहिए। इसको आप स्वीकार कर लीजिए।

SHRI R. MARGABANDU: I would like to say that if the entire administrative work were to be done in Hindi...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): I did not permit you. Please take your seat.

श्री नरेश यादव (बिहार): महोदया, मैं समझता हूं कि हनुमनतप्पा जी जो संशोधन लाए है, वह वाजिब है। माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने में हम पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं या नहीं? अगर हां तो हिंदी विश्वविद्यालय के कामकाज की भाषा हिंदी होनी चाहिए। इसमें हर्ज किस बात का है? हम यह कह सकते है कि यहां से हम अनुवाद करके भेजेंगे वह तमिल में भेजेंगे या तेलुगु में भेजेंगे या कन्नड़ में भेजेंगे, यह हो सकता है लेकिन यह अंग्रेजी की भावना अभी तक हमारे दिमाग में क्यों है? सवाल तो अंग्रेजी हटाने का है।

महोदया, यह कहना हिंदी का अपमान है कि इससे इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह पूरा होगा और तभी होगा जब सब कार्यवाही हिंदी में चलेगी। हिंदी इतनी समर्थ और मजबूत भाषा है कि उसमें प्रशासनिक कामकाज हो सकता है। जिसको जरूरत होगी वह अनुवाद करके पढ़ेगा। सभी माननीय सदस्य इस पर सहमत है। आजादी के बाद के 50 सालों में हिंदी की जो दुर्गति हुई है, वह हिंदी विश्वविद्यालय की नहीं होनी चाहिए।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम की लैंग्वेज हिंदी होगी। मैं यह भी आश्वासन दे रहा हूं कि जब आर्डिनेंस और रूल्स बनेंगे, उसमें यह जोड़ा जाएगा।

It will be done, It will be included in the rules or the statutes. When we frame it, it will be included.

श्री आर० के० कुमार: मैडम, मंत्री जी यह क्लैरिफाई कर दें कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के काम के अलावा कौन सा काम है जो हिंदी में नहीं हो सकता है?

श्री एस० आर० बोम्मई: मैंने ऐश्योरेंस दिया है। स्टैच्यूट्स में हम करेंगे।

श्री राम कापसे: मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम सब इस बात से सहमत है कि कामकाज की भाषा हिंदी हो। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है और यह संभव भी है। इसलिए हनुमनतप्पा जी का जो संशोधन है, उसको आप स्वीकार करें।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैंने भी वही कहा है। स्टैच्यूट्स में हमने करने का आश्वासन दिया है, हम करेंगे।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: आप भी सालों से राज्यसभा में है। आपने देखा होगा कि कितने आश्वासन हमारे सामने आए है और कितनों पर काम हुआ है। जब सभी सदस्यों की इस पर सहमति है और गवर्नमेंट भी स्वीकार कर रही है तो प्रशासनिक कामकाज हिंदी में होना चाहिए।

मेरा संशोधन एक्सेप्ट करें। अगर उसमें बाधा आए तो फिर संशोधन लाएं। ...(व्यवधान) इसका विरोध कोई नहीं है। इस संशोधन को अभी पारित करें....(व्यवधान) जब काम शुरू होगा और काम में कोई बाधा आए....(व्यवधान)

श्री एस० आर० बोम्मई: जरूर आएगी।

श्री हेच हनुमनतप्पा: मैं अपने संशोधन को मूव करता हूं।

श्री एस० आर० बोम्मई: मूव करें तो करें। (व्यवधान) आप सैक्शन-3, सैक्शन-4 दोनों मिलाकर पढ़िए। मैं आश्वासन दे रहा हूं कि हम यह करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमनतप्पा जी, यह ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तो यह रूकावट पहले ही शुरू हो जाएगी।

If you read them together, you will see

that it will come in the-way of the working of the University itself. So, the very objective itself will be defeated.

श्री हेच० हनुमनतप्पा: नहीं होगी, आप शुरू कर दीजिए। वह रूकावट को निकालने के लिए हम साथ हैं।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैंने बहुत सोचा, कानून पंडितों को भी कंसल्ट किया। ...(**व्यवधान**)

शास्त्री जी, हम जरूर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तमिलनाडु में तमिल में हमें पत्रव्यवहार करने की जरूरत है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। कर्नाटक में कन्नड़ में करने की जरूरत पड़ेगी। कर्नाटक विद्यार्थी कुछ पूछेंगे। वहां भी तमिलनाडु से पूछेंगे। ....(**व्यवधान**)

श्री राम कापसे: असलियत यह है कि इस तरह की बाधा नहीं आएगी।

श्री एस० आर० बोम्मई: आप बैठिए, हम बात कर रहे है। ....(**व्यवधान**) नहीं-नहीं, आप बैठिए बाद में कुछ करिए। मैं अभी भी कहता हूं। हम इसको इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। मैं हनुमनतप्पा जी से प्रार्थना करता हूं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से यह काम हो रहा है। So let us do it. to start with. If necessary, we will amend it, if there is any difficulty in the matter of administration in Hindi. उस समय हम जरूर करेंगे। पहले से ही बिल को हमने कंसल्ट किया है। लीगल कंपलीकेशंस आएंगे। इसलिए मैं विनती करूंगा कि सर्वसम्मति से यह बिल पास कीजिए।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: मैडम्, इंप्लीमेंट करने वाले इनके आफिसर है। उनका मंशा हम लोगों को मालूम है। इतना आश्वासन देने के बाद भी मैं अपना संशोधन विड्रो नहीं कर सकता।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं विनती कर रहा हूं।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: माफ कीजिए, मैं अपना संशोधन मूव कर रहा हूं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको हम सबका समर्थन प्राप्त है। हम सब चाहते है कि आपने यह अच्छा काम किया है इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। मैं मानता हूं कि माननीय हनुमनतप्पा जी ने जो बात कही है वह दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है, इस नियम के अनुसार सच है। हम लोगों ने इतने आश्वासन देखें है जो फलीभूत नहीं हुए।

श्री एस० आर० बोम्मई: मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है।....(**व्यवधान**) लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप स्वीकार कर लीजिए। यह कोई अनुचित बात नहीं है। आपकी भावना के अनुकूल यह समर्थन है और इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए।

श्री राम कापसे: आपने यह कहा कि यह सम्भव नहीं है। मैं एक जानकारी आपको देता हूं कि पूणे विद्यार्थी की कामकाज की भाषा मराठी है। फिर भी सब विद्यार्थियों के साथ उनका समन्वय हो सकता है। इस तरह से किया जा सकता है। कामकाज की भाषा जो अंदरूनी रहेगी वह हिन्दी रहेगी। इतना आप मान सकते है और यह संशोधन आप स्वीकार करें।....(**व्यवधान**)

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, 1 fully concur with the hon. Minister because the administrative work has to be transacted only in Hindi. It will be a problem if the persons, those who come from Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and other places, do not know Hindi and the correspondence has been made in Hindi. As far as the administrative work is concerned, it can be done in English, and translation and other things can be given. So, the assurance given by the Minister can be accepted.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं बार-बार विनती कर रहा हूं ऐश्योरेन्स दे रहा हूं कि यह रुकावट आप मत लाइए। ....(**व्यवधान**).... हनुमनतप्पा जी, आप इसमें रुकावट डाल रहे हैं। इस संशोधन का गंभीर परिणाम होगा इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इसे वापस ले लीजिए। हम स्टेट्यूटरी बिल ज़रूर लाएंगे और जल्दी लाएंगे। आप इसको सर्वसम्मति से पास करने में मदद कीजिए। ....(**व्यवधान**)....

आप मदद कीजिए। ....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): शांति.....शांति..... अब मैं इस संशोधन को .....(व्यवधान).....आप इस संशोधन को वापस कर रहे हैं?

श्री हेच० हनुमनतप्पा: महोदया, जो लोग हिंदी की वकालत करते हैं वे ही इसके खिलाफ भी वकालत कर रहे हैं तो हम क्या करें? अब अहिंदी वाले ही हिंदी का संशोधन नहीं चाहते हैं और हिंदी वाले हिंदी का संशोधन चाहते हैं। ....(व्यवधान)..... मैडम वाइस चेयरमैन, मेरा इसमें इतना ही स्वार्थ था कि महात्मा गांधी जी के नाम पर हिंदी के लिए जो अलग एक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका कामकाज तो हिंदी में हो जिससे हिंदी की जो अवहेलना आजकल हो रही है वह कम हो जाए। मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इस पार्लियामेंटरी आश्वासन पर ध्यान देंगे और अपने स्टेटमेंट में इसे लाएंगे। मैंने तो मंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि आप इसको स्वीकार कीजिए। अगर कठिनाई हो तो फिर हाउस के सामने आइए, आपको सुझाव मिल सकते हैं लेकिन वे कहते हैं कि इसको अभी स्वीकार करें। अगर ज़रूरत होगी तो मैं फिर आऊंगा। मंत्री जी की मंशा तो अच्छी है। मैंने उन्हें बधाई भी दी थी। तीन दिन में उन्होंने हिन्दी सीखकर प्रथमा और मध्यमा को याद किया, सैटडे और संडे को इसके लिए समय देकर वे तैयार होकर आए हिंदी में बोलने के लिए। जो अफसर इंप्लिमेंट करते हैं, ऐसी मंशा अगर उनकी हो जाए तो हिंदी की बहुत तरक्की हो जाएगी। तो माननीय मंत्री जी के आश्वासन और सभी साथियों के आश्वासन से मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): माननीय सदस्य श्री हनुमनतप्पा जी ने अपने संशोधन को वापस लिया। क्या सदन इसकी अनुमति देता है?

The amendment (No. 3) was, by leave, withdrawn.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): सदन की अनुमति से यह संशोधन वापस हुआ। अब मैं धारा 3 को सदन की सहमति के लिए रखती हूं।

The question was put and the motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clauses 4 to 44 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1—Short title and commencement

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1995" के स्थान पर अंक "1996 " प्रतिस्थापित किया जाये।

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में शब्द "छियालीसवें" के स्थान पर शब्द "सैंतालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

श्री एस० आर० बोम्मई: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

संशोधित विधेयक को पारित किया जाये।

The question was put and the motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बिल पारित हुआ, संशोधित विधेयक पारित हुआ। मंत्री जी आपको धन्यवाद।

श्री एस० आर० बोम्मई: आपको और सदन को धन्यवाद।

श्री सी० एम० इब्राहिम: सदन को भी धन्यवाद।

THE INDIAN CONTRACT (AMENDMENT) BILL, 1992—(contd.)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): इंडियन कंट्रेक्ट एक्ट पर बहस हो रही थी। श्री सनातन बिसि जी बोल रहे थे।

Mr. Sanatan Bisi was on his legs. He is absent.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Madam, Vice-Chairperson, I am not a legal expert. I am a layman. I have read the Indian Contract (Amendment) Bill, 1992 many times. I also read the Ninety-seventh Report of